



राजस्थान शिक्षक संघ (राष्ट्रीय)

कार्यालय : 82, पटेल कॉलोनी, गवर्नमेन्ट प्रेस के पास, सरदार पटेल मार्ग, जयपुर—302001

संरक्षक : सर्वश्री नानक कुन्दनानी, संतोष चन्द्र सुराणा, चौथमल सनाद्य, राजनारायण शर्मा, महावीर प्रसाद सिंहल

(Regd. & Recognised by Govt. & Affiliated to ABRSM, AIPTF, AISTF, E.I. & RRKM)

सम्पत्ति सिंह	देवलाल गोचर	प्रहलाद शर्मा	अरविन्द व्यास
अध्यक्ष	सभाध्यक्ष	संगठन मंत्री	महामंत्री
मो. 94133-44625	मो. 94144-03756	मो. 94140-56109	मो. 94143-96596

प्रेस विज्ञप्ति

अर्जित उपार्जित अवकाश को लैप्स करने के अन्याय पूर्ण नियम में हो संशोधन 300 से अधिक अर्जित अवकाश को रिटायरमेंट तक जोड़ा जावे

जयपुर। 26 नब्बर 2020। राज्य के कर्मचारियों 30 व शिक्षकों को 15 उपार्जित अवकाश प्रतिवर्ष देय होते हैं। इसके अलावा शिक्षकों को ग्रीष्मावकाश में कार्य करने की एवज में 3 दिवस की उपस्थिति पर एक पी.एल. देय होती है। इस प्रकार ग्रीष्मावकाश में कार्य करने की एवज में शिक्षकों को 15 अतिरिक्त उपार्जित अवकाश उनके द्वारा उपस्थित कार्य दिवस के आधार पर देय है। यानी कोई भी कर्मचारी एक वर्ष में अधिकतम 30 पीएल अर्जित करता है। इन अर्जित उपार्जित अवकाश को शिक्षकों व कर्मचारियों के खाते में जमा किया जाता है। आवश्यकता पड़ने पर शिक्षक अवकाश ले सकता है।

राजस्थान शिक्षक संघ (राष्ट्रीय) के प्रदेश महामंत्री श्री अरविंद व्यास ने बताया कि विभागीय नियमानुसार शिक्षकों व कर्मचारियों के खातों में प्रतिवर्ष अर्जित उपार्जित अवकाश 300 से अधिक होने पर उसे लैप्स कर देने के प्रावधान दोषपूर्ण है। राजस्थान शिक्षक संघ (राष्ट्रीय) ने राजस्थान सरकार के मुख्यमंत्री को ज्ञापन भेजकर शिक्षकों व कर्मचारियों के खाते में प्रतिवर्ष अर्जित उपार्जित को उनके खाते रिटायरमेंट तक जोड़ने हेतु 300 से अधिक पी.एल. को लैप्स करने के प्रावधान में संशोधन की मांग की है।

श्री व्यास ने बताया कि विभागीय नियमानुसार शिक्षकों के खाते में प्रतिवर्ष अर्जित पी.एल. से जमा हुई कुल 300 पी.एल. से अधिक पी.एल. को लैप्स करना अन्यायपूर्ण होकर दोषपूर्ण नियम है जिसमें संशोधन करने अपेक्षित है। शिक्षकों व कर्मचारियों के खाते में 300 से अधिक पीएल को आवश्यकता पड़ने पर अवकाश लेने की छूट देने के नियम होनी चाहिए।

किन्तु दोषपूर्ण नियम के कारण शिक्षक व कर्मचारी आवश्यकता पड़ने पर 300 से अधिक अर्जित पीएल का लाभ नहीं ले पा रहे हैं।

राजस्थान शिक्षक संघ (राष्ट्रीय) के प्रदेशाध्यक्ष श्री संपत्सिंह ने बताया कि रिटायरमेंट तक अर्जित उपार्जित अवकाश को शिक्षकों व कर्मचारियों के खातों में जोड़ने का पंजाब व हरियाणा हाईकोर्ट का निर्णय देशभर के लिए नजीर है। इस फैसले को आधार बनाकर 300 से अधिक पीएल को रिटायरमेंट तक देय होने के नियम बनाना राजस्थान के शिक्षकों, कर्मचारियों व विभाग के हित में होगा।

राजस्थान शिक्षक संघ (राष्ट्रीय) के प्रदेश संगठन मंत्री श्री प्रहलाद शर्मा ने बताया कि यदि राजस्थान में भी शिक्षकों के खातों में 300 से अधिक अर्जित पी.एल. को रिटायरमेंट तक उनके खातों में जमा करने के नियम बनाने व 300 से अधिक होने पर लैप्स किये जाने के वर्तमान के प्रावधान में संशोधन किया जाता है तो राज्य के शिक्षकों में अतिरिक्त कार्य करने के प्रति रुचि बढ़ेगी एवं आवश्यकता पड़ने पर ही कर्मचारी व शिक्षक उक्त अवकाश का उपभोग करेंगे तथा लैप्स होने के डर से अनावश्यक छुट्टियां भी नहीं लेंगे जिसका लाभ शिक्षकों व विभाग को मिलेगा।

उमा अर्जुनी

(आशीष त्रिवेदी)
मीडिया प्रकोष्ठ सदस्य
राजस्थान शिक्षक संघ (राष्ट्रीय)